



प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 2026

विषय: जनपद बलरामपुर में रासी मुख्य नहर के किमी० 38.616 से किमी० 39.400 तक दांयी पटरी पर ब्रिक सोलिंग एवं किमी० 39.400 पर निर्मित स्केप हेड रेगुलेटर के डाउनस्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-678/2026/001/ 1325/26-27-सिं-9-165एसएवी/26, दिनांक 03.07.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद बलरामपुर में रासी मुख्य नहर के किमी० 38.616 से किमी० 39.400 तक दांयी पटरी पर ब्रिक सोलिंग एवं किमी० 39.400 पर निर्मित स्केप हेड रेगुलेटर के डाउनस्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना की अनुमोदित लागत ₹0 73.95 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं अनु० सं०-94 सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4700-17-051-10-14-24 के अन्तर्गत धनराशि ₹0 59.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि में मुख्य अभियन्ता(सरयू परि०-प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, अयोध्या के स्थान पर त्रुटिवश मुख्य अभियन्ता(सरयू परि०-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, गोण्डा अंकित हो गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-678/2026/001/ 1325/26-27-सिं-9-165एसएवी/26, दिनांक 03.07.2026 की प्रतिलिपि में अंकित मुख्य अभियन्ता(सरयू परि०-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, गोण्डा के स्थान पर मुख्य अभियन्ता(सरयू परि०-प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, अयोध्या पढ़ा जाय।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता(सरयू परि०-प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, अयोध्या।
- 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ०प्र०शासन।
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।